राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.29(1)साप्र/2/2008 जयपुर, दिनांक : 30 अगस्त, 2008

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(51)साप्र/2/1964 दिनांक 26 जून, 1975 के अतिलंघन में राज्य सरकार द्वारा **दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से** राज्य के समस्त राजकीय कार्यालयो, निगमों, मण्डलों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं (राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों को छोड़कर) में पॉच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है । अतः 1 सितम्बर, 2008 से कार्यालय समय प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे (भोजन अवकाश अपरान्ह 1.30 बजे से 2.00 बजे तक) रहेगा तथा सप्ताह के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को राजपत्रित अवकाश रहेगा ।

यह आदेश राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, औषधालयों एवं पशु चिकित्सालयों में लागू नहीं होगा तथा अन्य आदेश तक इन संस्थानों में पूर्ववत आदेश दिनांक 26 जून, 1975 लागू रहेगा ।

अत्यावश्यक सेवाओं से सम्बन्धित समस्त सेवाओं में पॉच दिवसीय कार्य सप्ताह के तहत सप्ताहांत राजपत्रित अवकाशों एवं अन्य अवकाशों के दौरान सेवाओं को सुचारू रखने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सम्बन्धित विभाग/निगम/मण्डल/स्वायत्तशासी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जावेगी ।

(तपेश पवार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
2– प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
3– प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
4– समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ठ सचिव ।
5– प्रमुख निवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली ।
6– समस्त निगमों/मण्डलों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

7— सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर ।
8— सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
9— निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
10— पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
11— विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण/संसदीय सचिवगण, राजस्थान ।
12— निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री स्तर दर्जा प्राप्त पदाधिकारी ।
13— निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
14— समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर ।
15— समस्त महानिरीक्षक पुलिस—रेंज/जिला पुलिस अधीक्षक ।
16— समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।
17— आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को आदेश की 5 प्रतियॉं संलग्न कर प्रेषित कर लेख है कि कृपया इस सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाने का श्रम करें ।
18— शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को मंत्रिमण्डल आज्ञा सं.115/2008 दिनांक 20 अगस्त, 2008 की अनुपालना में ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है :—

1— सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
2— रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर ।
3— सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4— रक्षित पत्रावली ।

प्रमुख शासन सचिव